न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री पायमुडे रोहन नाना, आई.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 10/2021 Gems No. 2021/20
दायरा तिथि : 18.01.2021
प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.03.2021 फाईनल डिक्री दिनांक 23-6-2022

वादी :–

अचलाराम पुत्र मगनाजी जाति जांगिड ब्राह्मण
निवासी बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. छोगाराम पुत्र मगनाजी
2. उमेदा पुत्र मगनाजी
3. गणपत पुत्र कपूराजी
4. जमना बेवा कपूराजी तमाम जाति जांगिड ब्राह्मण
   निवासी बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
5. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

उपस्थितिः–

1. श्री गणपत सिंह राजपुरोहित .... अभिभाषक वादी की ओर से
2. श्री कैलाश कुमावत .... अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 01, 02 एवं 04 की ओर से
3. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार ....पैरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक : 23-6-2022

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 924, 1097, 1098 कुल खसरा–03 कुल रकबा 0.92 हैक्टर किस्म नहरी दोयम कुल लगान 11.96 रूपये संबध में वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के रेकर्ड में दर्ज वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/4, 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 03 व 04 का 1/8, 1/8 हिस्सा अनुसार बाई मिट,स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वर्णित भूमि की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 की प्रति पेश की गई।
प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर सम्मन तामील के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 01, 02, 04 की ओर से वकील श्री कैलाश कुमावत द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 03 बावजुद सम्मन तामील के वकालतन/ असालतन अनुपस्थित रहे। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1,2,4 के जवाबदावा के लिये प्रकरण के चलते प्रतिवादी संख्या 01, 02, 04 के अधिवक्ता व वादी अधिवक्ता की सहमति से न्यायालय द्वारा दिनांक 20.12.2021 की आदेशिका से रेकर्ड मे दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी किये के आदेश पारित किये गये। परन्तु आदेशिका की पालना में प्राथमिक डिक्री आदेश पारित नहीं होने से प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि प्रतिवादी संख्या 03 बावजुद सम्मन तामील के वकालतन/असालतन आदिनांक तक न्यायालय में अनुपस्थित है, अतः प्रतिवादी संख्या 03 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् धारा 151, 152 सी.पी.सी. के प्रावधानो अनुसार आदेशिका दिनांक 20.12.2021 के अनुसरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 02.03.2022 को वादग्रस्त भूमि ग्राम बीजापुर के खसरा नंबर 924, 1097, 1098 कुल खसरा–03 कुल रकबा 0.92 हैक्टर किस्म नहरी दोयम कुल लगान 11.96 रूपये संबध में रेकर्ड में दर्ज वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/4, 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 03 व 04 का 1/8, 1/8 हिस्सा अनुसार बाई मिट,स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई। प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली ने वादग्रस्त भूमि का पक्षकारो के मध्य विभाजन करते हुये अपने कार्यालय पत्रांक/भू0अ0/ 2022/409 दिनांक 31.05.2022 से निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किये गयेः–

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
01	अचलाराम पुत्र मगनाराम जाति जांगिड ब्राह्मण हि. पूर्ण सा. देह खातेदार	924	0.21 हैक्टर	नहरी दोयम	2.73
02	उमेदाराम पुत्र मगनाराम जाति जांगिड ब्राह्मण हि. पूर्ण सा. देह खातेदार	1098	0.22 हैक्टर	नहरी दोयम	2.86
03	छोगाराम पुत्र मगनाराम जाति जांगिड ब्राह्मण सा. देह खातेदार	1097/1	0.24 हैक्टर	नहरी दोयम	3.12
04	गणपत पुत्र कपुराराम हि. 1/2 जमना पत्नि कपुराराम हि. 1/2 जाति जांगिड ब्राह्मण सा देह खातेदार	1097	0.23 हैक्टर	नहरी दोयम	2.96
05	उमेदाराम पुत्र मगनाराम हि 1/3 छोगाराम पुत्र मगनाराम हि 1/3 गणपत पुत्र कपुराराम हि 1/6 जमना पत्नि कपुराराम हि 1/6 जाति जांगिड ब्राह्मण सा देह खातेदार	1097/2	0.02 हैक्टर	नहरी दोयम (गै.मु. रास्ता उपयोग हेतु)	0.26

पेज लगातार 02

न्यायालय उप ... बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 10/2021 Gems No. 2021/20

अनवान अचलाराम बनाम छोगाराम वगैरा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील वादी श्री गणपतसिंह राजपुरोहित एवं वकील प्रतिवादी श्री कैलाश कुमावत ने तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार प्रकरण में विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने की सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 924, 1097, 1098 कुल खसरा–03 कुल रकबा 0.92 हैक्टर किस्म नहरी दोयम कुल लगान 11.96 रुपये संबध में तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार टिनेन्सी एक्ट. की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
अचलाराम पुत्र गमनाराम जाति जांगिड ब्राहमण हि. पूर्ण सा. देह खातेदार	924	0.21 हैक्टर	नहरी दोयम	2.73
उगेदाराम पुत्र गमनाराम जाति जांगिड ब्राहमण हि. पूर्ण सा. देह खातेदार	1098	0.22 हैक्टर	नहरी दोयम	2.86
छोगाराम पुत्र गमनाराम जाति जांगिड ब्राहमण सा. देह खातेदार	1097/1	0.24 हैक्टर	नहरी दोयम	3.12
गणपत पुत्र कपुराराम हि. 1/2 जमना पत्नि कपुराराम हि. 1/2 जाति जांगिड ब्राहमण सा. देह खातेदार	1097	0.23 हैक्टर	नहरी दोयम	2.96
उगेदाराम पुत्र गमनाराम हि. 1/3 छोगाराम पुत्र गमनाराम हि. 1/3 गणपत पुत्र कपुराराम हि. 1/6 जमना पत्नि कपुराराम हि. 1/6 जाति जांगिड ब्राहमण सा. देह खातेदार	1097/2	0.02 हैक्टर	नहरी दोयम (गै.मु. रास्ता उपयोग हेतु)	0.26

तहसीलदार,बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 11.96 रुपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक पेश होने पर नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बीजापुर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 23-6-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with Oken Scanner